राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1204/2011/कोटा

मैसर्स दुर्गा कन्स्ट्रक्शन,
96–B, तलवण्डी, कोटा। ...अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,
कोटा। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 8.02.2018

निर्णय

1. अपीलकर्ता द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) अपील संख्या 15/वैट/2010–11/कोटा में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा धारा 24(2) राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 को विवादित किया गया है। व्यवहारी ठेकेदार ने आलोच्य अवधि के चारों त्रेमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये इसलिये विलम्ब की गणनानुसार धारा 58 के तहत रूपये 720/– की शास्ति आरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी ने आलोच्य अवधि में विभिन्न संविदा कार्यों के बदले कुल रूपये 65,95,788/– की प्राप्तियां दर्शायी है और समस्त कार्य ई.सी. से समर्थत बताया गया है। लेकिन जांच करने पर पाया गया कि कार्यादेश संख्या 9291 दिनांक 01.12.2005 के सम्बन्ध में प्राप्त राशि रूपये 7,67,374/– एवं कार्यादेश संख्या 10383 दिनांक 09.01.2006 से सम्बन्धित प्राप्त राशि रूपये 1,83,446/– कुल रूपये 9,50,820/– के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा विभाग से कोई मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। जबकि अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार दिनांक 01.04.2006 को शेष कार्य के लिये निर्धारित प्रारूप WT–2 में मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक था, लेकिन अपीलान्ट द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ना ही मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने रूपये 9,50,820/– के कार्य को बिना ई.सी. का माना। इस कार्य में काम ली गई सामग्री का विवरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया लेकिन अपीलान्ट द्वारा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने 30 प्रतिशत श्रम व्यय की राशि मानी और शेष रूपये 6,65,574/– की राशि सामान की मानी गई। जिसमें से रूपये 1,00,000/–

लगातार.....2

पर 4 प्रतिशत से रूपये 4,000/—, रूपये 5,65,574/— पर 12.5 प्रतिशत से रूपये 70,697/— कुल रूपये 74,697/— का कर आरोपित किया गया तथा इसे बकाया मानते हुए रूपये 17,474/— का ब्याज आरोपित किया गया। इस प्रकार रूपये 92,891/— को इस अपील द्वारा विवादित किया गया है।

3. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह तर्क दिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और ना ही कोई विशिष्ट सूचना पत्र ही जारी किया इसलिये आरोपित शास्ति विधिसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 27 टैक्स अपडेट पेज 210, टैक्स वर्ड वोल्यूम XLIII पेज 57, XLIII पेज 63 आदि के उद्धरण प्रस्तुत किये। अपीलान्ट ने पहले से सभी कार्य के लिये ई.सी. प्राप्त हुआ था, गत वर्ष में इसी कार्य को ई.सी. वर्क का माना गया है जबकि इस वर्ष में इसे बिना ई.सी. का मानते हुए अतिरिक्त कर आरोपित किया है जो न्यायोचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त करारोपण करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया इसलिये आरोपित अतिरिक्त कर विधिसंगत नहीं होने से निरस्त होने योग्य होने के कारण निरस्त की गई।

4. अपील पर बहस सुनी गई एवं विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विभागीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चारों त्रेमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना पत्र जारी किया है इसलिये अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क की उसे सूचना पत्र जारी नहीं किया, उचित नहीं है। अतः आरोपित शास्ति रूपये 720/— न्यायोचित एवं विधिसंगत है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार दिनांक 01.04.2006 से पूर्व के कार्यादेशों के लिये वैट—2 में ई.सी. प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाकर मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के दौरान समय यह पाया गया कि अपीलान्ट ने दिनांक 01.04.2006 के पूर्व के कार्यादेश जो आलोच्य अवधि में पूरे किये हैं उनके लिये मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र चाहने हेतु वैट—2 में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ना ही मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया इसलिये रूपये 9,50,820/— के कार्य को बिना ई.सी. का मानने में कर निर्धारण अधिकारी ने कोई भूल नहीं की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कार्य की पूर्ति हेतु काम लिये गये सामान की सूचना प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को दिनांक 29.03.2010 के लिये सूचना पत्र जारी किया जो उसे दिनांक 23.03.2010 को तामील हुआ जिसका उन्होंने जवाब भी प्रस्तुत किया लेकिन उन्होंने काम लिये सामान की कोई जानकारी कर निर्धारण अधिकारी को नहीं दी और ना ही अपील स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत श्रम व्यय की छूट स्वीकार करते हुए शेष राशि रूपये

लगातार.....3

6,65,574/– का सामान काम लेना मानते हुए जो अतिरिक्त कर रूपये 74,697/– एवं इसे बकाया मानते हुए ब्याज रूपये 17,474/– आरोपित किया गया है, वह न्यायोचित एवं विधिसंगत है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2011 में इस संबंध में विस्तृत विवेचन किया है। अतः बिना ई.सी. के किए गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रयुक्त की गई सामग्री (Material) पर आरोपित कर व ब्याज यथावत रखा जाता है। अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

फलतः व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य